

पत्रांक :- बि0उ0सं0 (स्था0) 10/2003-255

बिहार सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग,

सिविल विमानन निदेशालय

हवाई अड्डा, पटना - 800014


पत्रांक बि0उ0सं0 24/06/15-

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग अन्तर्गत बिहार उड्डयन संस्थान में संविदा के आधार पर उड्डयन लिपिक के अराजपत्रित पद के विरुद्ध निम्नानुसार अर्हता धारक आवेदकों से टंकित आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2015 तक कार्यालय अवधि में आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. न्यूनतम योग्यता-आई. ए0/आई. कॉग/आई. एस. सी। टंकण-कार्य (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का ज्ञान।
2. अर्हता-उड्डयन लिपिक के कार्य का पूर्ण अनुभव के साथ-साथ उड़ान सम्बन्धी विषयों का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
3. उम्र सीमा- दिनांक 15.06.2015 को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
4. आरक्षण कोटी- सामान्य जाति (गैर आरक्षित)।
5. वेतनमान- नियोजित व्यक्ति को मासिक मानदेय के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद शेष राशि भुगतये होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
6. अन्य शर्तें एवं जानकारी-

1. यह नियोजन केवल उड्डयन लिपिक पद के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा।
3. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित/अस्थायी अथवा स्थायी नियुक्ति या अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजन के उपरान्त किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पारा सुरक्षित रहेगा।
7. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
8. नियोजन के पूर्व नियोजित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. इस नियोजन को संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा शर्त का एक मुरत भुगतान कर समाप्त किया जा सकेगा।
10. उड्डयन लिपिक के पद पर स्थायी नियुक्ति होने पर संविदा अवधि (Contract Period) पूरी न होने पर भी नियोजित व्यक्ति का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
11. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त एकरारनामा की किररी भी शर्त का उल्लंघन करने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
12. आवेदन पत्र बायोडाटा तथा प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक, बिहार उड्डयन संस्थान, हवाई अड्डा-800014 के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा दिनांक 25.07.2015 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उन्हें किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
14. संविदा पर नियोजन से सम्बन्धित जानकारी सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट "www.csd.bih.nic.in" पर देखा जा सकता है।


24.06.15
(शिव प्रकाश)
मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक